

**FORM - III**  
**फर्द अहकाम**  
 (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

समरप्रताप सिंह बनाम सरजीत सिंह आदि  
 अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 06 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 8023/21

ल म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
--------	------------------------------------	--

2023 प्रार्थी समरप्रताप सिंह पुत्र सरजीत सिंह नाबालिग जएि कुदरती माता जसदीप कौर पत्नी सरजीत सिंह जाति सैनी सिख निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद करडवाला तहसील सादुलशहर की ओर से अधिवक्ता श्री जसवन्दि सिंह चीमा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.03.2023 को पेश हो।

*(Handwritten signature)*

2/23 ~~समरप्रताप सिंह ने श्री जज को पत्रावली पेश की है।  
 दिनांक 25/4/23 को पेश की। अर्थात् स. 1 ता 4 की  
 तलब के नोटिस बाद तामील प्राप्त काम~~

31/04/23 ~~प्रार्थी पत्रावली की तामि PO तलब... P JUS मोहता  
 दिनांक 18/02/23 को पेश है।~~

7/18/23 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19/7/23 को पेश हो। *(Handwritten signature)*

7/19/23 प्राची व प्राची अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राची व प्राची अधिवक्ता को एक-2 उ बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्राची का प्राचीना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA अदम परती, अदम कापरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली विणति होकर नम्बर से कम होकर कारखिल दफतर हो।



**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**  
**श्रीकरणपुर**